

कायोलय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 14 () 2015/एफसीए/प्रमुवसं/3996-4008 दिनांक: 7.7.2015

मुख्य वन संरक्षक
जयपुर/अजमेर/जोधपुर/भरतपुर/बीकानेर/
कोटा/उदयपुर/(वन्यजीव)जोधपुर/वन्यजीव, भरतपुर/
(वन्यजीव)उदयपुर/(वन्यजीव)जयपुर/वन्यजीव, कोटा।
(वन्यजीव), सरिस्का मुख्यालय—अलवर।

विषयः— E-green watch पर FCA प्रकरणों को अपडेट करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत E-green watch पर FCA प्रकरणों के अपडेट नहीं होने के कारण MoEF&CC द्वारा इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। इसके कारण सूचनाओं में भी भिन्नता आ रही है। अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि वर्ष 1980 से वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अंतिम स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों को E-green watch पर आवश्यक रूप से दर्ज कर साथ ही यह ध्यान में रखा जावें कि जिन प्रकरणों में अंतिम स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है वे इसमें सम्मिलित नहीं किये जावें।

E-green watch साईट पर पूर्व में दर्ज प्रकरणों को चैक करते हुए यदि पूर्व में दर्ज है तो उसे अपडेट कर ले एवं दर्ज नहीं है तो नये सिरे से दर्ज करें। अब तक के सभी प्रकरणों को दर्ज कर साईट में निम्नानुसार Reports Generate कर उसे संबंधित अधिकारी से प्रमाणित कर तीन सप्ताह में इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

1. Yearwise Project summary of FCA project.
2. Divisionwise details of diverted forest land for FCA project.
3. Divisionwise details of land received from UA for compensatory afforestation.

सूचना भरते समय यह ध्यान रखा जावें कि सूचना सही एवं सत्य है तब ही Save मोड पर जावें।

यह प्रक्रिया नये अंतिम स्वीकृत प्रकरणों के लिए निरंतर करना सुनिश्चित करें। E-green watch के Password मुख्य वन संरक्षक (IT), द्वारा पूर्व में ही दिये जा चुके हैं। जिन्हें संबंधित अधिकारी द्वारा CAMPA आदि की साईट्स पर इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर भी इस संबंध में कोई कठिनाई हो तो कृपया dcf.it.forest@rajasthan.gov.in पर सम्पर्क कर सकते हैं।

यह ध्यान रखा जावें कि उक्त कार्य समय पर पूर्ण नहीं किया गया तो MoEF&CC राज्य के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के नये प्रस्तावों पर विचार नहीं करेगी। अतः इसे आवश्यक समझा जावें।

भवदीय,


(डॉ० एस. एस. चौधरी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF),
 राजस्थान, जयपुर

.....PTO

क्रमांक: एफ 14 () 2015/एफसीए/प्रमुखसं/ 4009-4113

दिनांक: 7-7-15

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिं0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र) पंचम तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ0प्र0)
2. अतिं0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (CAMPA), राजस्थान, जयपुर।
3. अतिं0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं CWLW, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिं0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (IT), राजस्थान, जयपुर।
5. समरत उप वन संरक्षण,

अतिं0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एंव नोडल अधिकारी एफसीए,
एस/स राजस्थान, जयपुर